मिसल नम्बर 24 / 2020
निर्णय दिनांक 02-07-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **24 / 2020**

सरकार

बनाम

श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी मेंहाड़ जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 02–07–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर आज गैर सायल की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 के रकबा 0.06 है0 भूमि पर गैर सायल शांति देवी पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी मेंहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने राजकीय भूमि पर चार दिवारी लगाकर एवं पक्के मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस मे राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास की भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.60 किस्म बजड़–2 के रकबा 0.06 है0 भूमि पर अपने पुर्वजों से कब्जा होना बताया है एवं सबूत के तौर पर गैर सायल द्वारा अतिक्मी भूमि का पट्टा होना बताया है। गैर सायल द्वारा न्यायालय में मूल पट्टा पेश करने हेतु बार–बार समय दिये जाने के उपरान्त भी कोई पट्टा व दस्तावेजात् एवं कोई ठोस सबूत पेश नही किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल शांति देवी पत्नि श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी मेंहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि ख0न0

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

मिसल नम्बर 24/2020
निर्णय दिनांक 02–07–2021

374 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 के रकबा 0.06 है0 पर चार दिवारी लगाकर एवं एक कमरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का **मेंहाड़ा जाटूवास** के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 के रकबा 0.06 है0 पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **मेंहाड़ा जाटूवास** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.60 हेक्टेयर किस्म बजड़–2 के रकबा 0.06 है0 भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार, खेतड़ी